

शोध मंथन

स्त्रीवादी अवधरणा

शगुन सिक्का

सहायक अध्यापक

श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज

पंजाब

स्त्रीवादी अवधरणा

कद्ध स्त्री की निर्मिति का ऐतिहासिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

स्त्रीवाद का तात्पर्य जिसमें स्त्री के गुण विद्यमान हो इसका प्रयोग 1890 ई० के आसपास लैंगिक समता और स्त्रियों के अधिकार के अर्थ में किया गया। सामान्यतः यह स्त्री मुक्ति आंदोलनों से जुड़ा है। बीसवीं शताब्दी के सातवे दशक में यह विचारधारा उभरकर आई। इस विचारधारा को बढ़ाने में इस शताब्दी के पूर्वार्ध में जान स्टुअर्ट मिल, वर्जीनिया उल्फ, सीमोन द बुआ आदि का महत्वपूर्ण योगदान है।¹

पुरुष समाज में स्त्रियां सर्वदा से उपेक्षित रही हैं। स्वतंत्रता के अभाव में उनका व्यक्तित्व विकृत होता गया। अतः स्त्रीवाद स्त्रियों के दमन के विविध रूपों का अध्ययन करता है और दमन से उन्हें मुक्त करने की दिशा में पहल करता है। यह स्त्री के वैयक्तिक, राजनीतिक एवं दार्शनिक समस्याओं से जुड़ा है।

शेवाल्टर स्त्रियों की रचनाओं में चार प्रकार के वैशिष्ट्य देखती हैं—प्राणि शास्त्रीय, भाषिक, मनोविश्लेषणात्मक और सांस्कृतिक। फ्रान्सिस मोरिस के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच के 'लगभेद' का बुनियादी आधार है संरचनात्मक असमानता इसके कारण स्त्री को नियोजित सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ता है। दो 'लगों' के बीच की असमानता। बायोलॉजिकल जरूरत का ही परिणाम नहीं है बल्कि यह 'लगभेद' की सांस्कृतिक निरूपण है।²

फउत्तर संरचनावादी दौर में महिलाओं ने प्रजनन के अधिकार शिक्षा और प्रशिक्षण, औरतों को पुरुषों की तुलना में कम वेतन, कार्यक्षेत्र में औरतों के साथ भेदभाव, छेड़खानी, घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष के साथ तीसरी दुनिया के देशों में विकास शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल भी उठाए।³

स्त्री उत्पीड़न, छेड़खानी, दहेजप्रथा, बालविवाह, स्त्री भ्रूण हत्या, कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव और वैषम्य राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव, स्त्री अस्मिता, प्रेम, पितृसत्ता, महिला के वस्तुकरण, साम्प्रदायिक व आतंकवाद की शिकार

¹. -सह बच्चन, आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीज शब्द, पृ० 141

². डॉ० -सह सुध, ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ, पृ० 98

³. डॉ० चतुर्वेदी जगदीश, डॉ० -सह, सुध, कामुकता, पोर्नोग्राफी और स्त्रीवाद, पृ० 23

महिलाओं की समस्या सत्तर के दशक में तेजी से केंद्र में आई है। इसके अलावा विस्थापन, मजदूरी, खेत-मजदूर औरत वेश्याओं और उनके बच्चों के भरण-पोषण और विकास के सवाल भी उठे हैं।

वैदिक युग में स्त्री अस्मिता का स्वरूप

वैदिक युग मातृप्रधान युग था। स्त्री पठन-पाठन, वेद की रचना करती थी। लोपामुद्रा, विशाखा, मैत्रीयी, घोषा गार्गी तथा आत्रोयी आदि विश्विख्यात विदुषियां हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों का जीवन हर प्रकार से आदर्श था। स्त्री के जीवन का अधिकांश भाग विवाह और वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित था। अपने पिता के घर में पलने-बढ़ने वाली लड़की को गांव के युवकों से मिलने जुलने में कोई वाध नहीं थी। स्त्रियों के लिए शिक्षा वखजत नहीं थी लेकिन उनके लिए विध्वत शिक्षा का कोई विधन नहीं था। आश्रमों में भी वह नहीं रहती थी। विवाह के बाद पढ़ाई करनेवाली छात्रा को संद्योव्यू तथा विवाह के बाद, ज्ञानार्जन करनेवाली स्त्री को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था।

पिता के न रहने पर पुत्री के भरण पोषण का दायित्व पुत्र का था। विवाहित और अविवाहित दोनों ही स्थितियों में स्त्रियाँ पैतृक अधिकार से वंचित थी। स्त्री के विधवा हो जाने पर सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करनेवाले का यह दायित्व होता था कि वह विधवा का भरण-पोषण करे। विधवा को विवाह की अनुमति संतान प्राप्ति के लिए थी जिसे 'नियोग' नाम से जाना जाता है। देवर के साथ विवाह का उल्लेख है। प्रथम पति के मृत्यु के बाद विधवा की स्वीकृति है। अथर्ववेद में ऐसे संकेत ढूँढे जा सकते हैं जहाँ पति के मृत्यु के बाद पत्नी स्वयं अग्नि में जल जाती थी या संबंधी लोग उसे जला देते थे।

बहुपत्नित्व व बहुपातित्व प्रथा थी। कुमारी पुत्रा का उल्लेख है। वेश्या व गर्भपात करनेवाली स्त्री का उल्लेख है। महाकाव्य काल में वेश्याएं समाज और परिवार में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुकी थी। कभी-कभी सेनाओं के साथ भी वेश्या चलती थीं।

वैदिक युग में स्त्री यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। पुत्रा न होने पर पिता की संपत्ति की अधिकारिणी पुत्री को ही माना जाता था। पति द्वारा पत्नी को भेट दिये जाने का उल्लेख भी मिलता है। इस युग में स्त्री मानवीय रूप में चित्रित थी। वह गरिमामय ढंग से जीवनयापन करती थी। दरअसल यह मातृप्रधान समाज था। मातृत्व को दैविक शक्ति माना जाता था। संतान को पिता के वंश या कुल से नहीं वरन माता के नाम से जाना जाता था। उपनिषदों में वखणत स्त्री भी एक ऐसी संपूर्ण मानवीय इयत्ता है जो पुरुष से शारीरिक भिँता लिये असीम संभावनाओं का वैसा ही पूंजीभूत रूप है जो अपने आंतरिकता, वैयक्तिकता, और स्वतंत्रता द्वारा जीवन के उच्चतम सोपानों को स्पर्श कर सकती है।

आख्यक-सामाजिकता वर्गीकरण में स्त्री का अस्तित्व क्रमशः पेचीदागियों के घेरे में उलझता गया। धीरे-धीरे समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक हो गया। अतः स्त्री अस्मिताहीन दुर्बल व शोषित बनकर रह गयी।

मनुष्य जब जंगलों या पहाड़ों की गुपफाओं में रहता था तो शिकार कर जीवन यापन करता। स्त्री-पुरुष दोनों साथ-साथ स्वतंत्रा जीवन जीते थे। कतु जैसे-जैसे जैविक स्थितियों की भिँता ने पुरुष के शारीरिक बल के अधिकता और नारी के मातृत्व भाव को प्रमाणित किया, जैसे-जैसे नारी का परावलंबन भी बढ़ने लगा। कार्यक्षमता का बंटवारा हुआ। स्त्रियाँ गर्भस्थ शिशु का देखभाल के लिए घर पर रहने लगी और पुरुष अपनी संतति की रक्षा हेतु अधिक सावधन और कर्मठ हुआ। ज्ञान और गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ जैविक सीमाओं से भी मुक्त पुरुष स्त्री का स्वामी और घर का मालिक बना। पुत्रा सत्यकाम और मात जाबाला की कथा इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जिसमें पिता का आज्ञा में रहना उसकी शिक्षा-दिक्षा में बाधक नहीं बनता।

पितृसत्ता और स्त्री

मनुस्मृति में स्त्री जाति पर अंकुश लगा दिए। वह एक जीवित प्राणी के बदले एक पराधिन भोग की वस्तु बनकर रह गई। इनके अनुसार स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। कुमारी अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करें, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्रा।

रक्षाति पिता कौमारे, भ्राता रक्षति यौवने

रक्षाति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्रयमहखत

स्त्री का कर्तव्य पुरुष की अनुगामिनी बनना भर है। पति सेवा ही उसका संस्कार है। स्त्री पराधिनता को सीध उत्तरदायी ठहराते हुए राजकिशोर लिखते हैं।

पजहाँ मनुस्मृति श्लोकों की प्रतिध्वनि नहीं पहुँची थी वे क्षेत्रा भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए न्यूनतम वर्जनाग्रसी रहे हैं।¹

इस युग में रचे अन्य ग्रंथों में भी स्त्री को रहस्यमयी घोषित कर अधिकार, मद, लालसा से उस पर कठोर नियंत्रण की मांग होने लगी।

बौद्ध धर्म में रूढ़िवादिता और कर्मकांड का निषेध किया है। इस धर्म ने स्त्री शिक्षा और पुनःखवाह को बढ़ावा दिया। संघ में स्त्रियों को भी भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश योग्य माना। धर्म की वर्गों के चुंगल से छुड़ाकर सभी के लिए मध्यम मार्ग की परिकल्पना की। विदेशी आक्रमणों के भय से एक बार पुनः सामाजिक अवस्था में परिवर्तन की मांग को बल मिला। शांति व सुरक्षा की दृष्टि से स्त्री स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गयी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा अनिवार्य हो गयी। सती होने की स्थिति में विधवा स्त्री के साथ ऐसे दुर्व्यवहार होते थे कि वह सती होकर मर जाना ही बेहतर समझती थी। गृहस्थ जीवन में पतिव्रता स्त्री को एक आदर्श रूप में चित्राण किया गया। भगवद् भक्ति के बदले पति भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकेगा—ऐसी धरणाओं की मान्यता प्रदान की गई।

मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और स्त्री अस्मिता का स्वरूप

मध्यकाल का भक्ति आंदोलन जनांदोलन था। जिसने परंपरा और संस्कृति दोनों के साथ लिये भारतीय समाज की तत्कालीन व्यवस्था, रूढ़ियों के सापफ चित्राण के साथ ही उन बंधनों को तोड़ पफेकने की निद्वन्द्व निर्भयता भी लिए हुए था। निम्न वर्ग में जन्में भक्ति आचार्यों ने धर्म को वर्ण और वर्गभेद की जकड़ से मुक्त कराया। स्त्रियां कीर्तन और सत्संग करने लगी। इसके बहाने घर से बाहर निकली। जन-भाषा में रचे भक्ति गीतों के प्रचलन से अनेक महिला संतों की रचनात्मकता सामने आयी और आत्माभिव्यक्ति का साधन बनीं। इनमें आन्दाल भक्तियों के अतिरिक्त मीराबाई, जनाबाई, दयाबाई, आदि प्रमुख हैं। इनकी कविताओं में यातनाओं की अभिव्यक्ति के साथ-साथ अपनी स्वतंत्रता की मांग का मुखर स्वर भी मिलता है। इन लागों ने निर्भयता से संकल्प लिया:—पभजन करस्यां सती न होस्यां।²

मीरा ने एक लंबे समय तक यातना सही। विरोध शक्तियों के खूंखार स्वभाव की पहचान कर उन्होंने भक्तिरूपी प्रेम का प्रबल प्राप्त किया और अपने संघर्ष के लिए संकल्प जुटाकर विरोध को चुनौती देती प्रतीत होती है।

आधुनिकीकरण और समाज सुधर संघर्ष में स्त्री अस्मिता

भारतेंदु हरिश्चन्द्र की यह आकांक्षा थी कि 'नारी नर सम होह जग आनन्द है।³ पजो बातें तुम्हारे उँतितपत में कांटा हो उनको जड़ से खोदकर पफेक दो कुछ मत डरो।⁴ ने एक नई विचारधरा को अभूतपूर्व तेज के साथ सामने रखा। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक और धर्म्मक सुधरवादी आंदोलन ने जोर पकड़ा तथा स्त्रियों पर लादी गई कुप्रथाओं और हिन्दुओं में जाति-भेद पर तीखे सवाल उठाये। इसकी सीध असर तत्कालीन समाज पर पड़ा।

ब्रह्मसमाज ;1828, राजा राममोहन रायद्ध, प्रार्थना समाज ;1868, केशवचंद्र सेनद्ध, आर्यसमाज ;1833, स्वामी दयानंद सरस्वतीद्ध थियोसापिफकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन ;1897, विवेकानंदद्ध, सत्यशोधक समाज ;1873, ज्योतिबा पफुलेद्ध, शारदा सदन ;1889, रमाबाईद्ध, वीमेन्स इंडिया असोसिएशन ;1917, लेडी सदाशिव अँयरद्ध आदि ने भारतीय स्त्रियों पर रूढ़ियों और कुप्रथाओं के माध्यम से किये जा रहे अन्याय, अत्याचार का विरोध किया और उन्हें पुरुषों के समकक्ष माने जाने पर बल दिया।

मानवतावादी तथा समानतावादी विचारों से प्रेरित इन समाज सुधरकों ने स्त्रियों की दशा सुधरने के लिए जो सपफल आंदोलन छोड़े उनमें व्यक्तिवाद तथा समानता के सि(तों के साथ-साथ धर्म की एक नई व्याख्या भी थी।

पलोकलाज कुल कानि जगत की, दह बहाय जस पानी।

अपने घर का परदा करले, मैं अबला बौरानी।।

इस पद की अंतिम पंक्ति को स्त्री अस्मिता की महत्वपूर्ण उद्धोषणा ठहराते हुए मैनेजर पांडेय कहते हैं:—

¹ राज किशोर, स्त्री पुरुष कुछ पुनर्विचार, पृ. 28

² भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु समग्र, पैरा-2, पृ. 1012

अपने घर का परदा कल ले, मैं अबला-बौरानीय में आरंभ में व्यंगवाद की विडंबना से मिलकर जो प्रभाव पैदा करता है, चुनौती को वह अधिक अर्थपूर्ण और धरदार बना देता है। यहाँ एक सजग स्त्री स्वर सुनाई देता है जिसमें आक्रोश की अनुगूँज है किसी पीड़ित की चीख पुकार नहीं।¹

^{इसके} साथ ही वह कहते हैं कि पड़ससे यह भी स्पष्ट है कि संकल्प और आस्था के साथ अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील अबला भी पुरुष के लिए चुनौती बन सकती है।²

महात्मा गाँधी का आगमन और स्वाधिनता संग्राम में स्त्री अस्मितता का स्वरूप

गाँधी जी स्त्री समानता की बात करते हैं। स्वाधिनता संग्राम के दौरान महात्मा गाँधी के आह्वान पर लाखों परिवारों से लज्जालु और परंपरा के अंधेरों से ग्रस्त स्त्रियाँ, सड़कों पर उतर आयी और वंग-भंग विरोधी आंदोलन से लेकर होमरूल आंदोलन तक में बड़ी संख्या में भाग लिया। 1918 के बाद वे राजनीतिक जुलुसों के साथ चलने लगी। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी गई तथा जन प्रदर्शनों को न केवल संबोधित करने का साहस जुटाया बल्कि आगे बढ़कर लाठी, आंसू गैस और गोलियाँ भी झेलीं। भारतीय स्त्री की इस कर्मठता और क्षमता से न केवल संपूर्ण विश्व चकित हुआ वरन् स्वयं स्त्रियाँ भी अपने इस नए रूप से जागृत होकर अपनी पराधिनता के करणों को विश्लेषित करने की दृष्टि पा सकीं।

गाँधीजी के पहल के कारण ही हमारे देश में अन्य समृद्ध देशों के मुकाबले स्त्रियाँ को कापफी पहले ही मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। सरोजनी नायडु को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अनेक स्त्रियाँ 1937 में मंत्री या संसदीय सचिव बनीं।

नगरपालिकाओं, स्थानीय शासन संस्थाओं के साथ ट्रेड यूनियन तथा किसान आंदोलन ;1920 ई.पू. में भी स्त्रियाँ अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखायी देने लगीं।

इस प्रकार महात्मा गाँधी की प्रेरणा और स्वाधिनता संग्राम की विस्फोटक शक्ति ने भारतीय स्त्रियों की जागृति तथा मुक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गाँधी ने कहा था पजब भारत की आजादी का इतिहास लिख जायेगा तो उसमें भारतीय नारी का प्रमुख हिस्सा स्वर्णक्षरों में अंकित किया जायेगा।³ इस प्रकार स्त्री अस्मितता के स्वरूप को दृढ़ता प्रदान करने में महात्मा गाँधी का योगदान अविस्मरणीय है।

भारतीय समाज में पुरुष और स्त्री की अवधरणाओं में पर्याप्त अंतर माना जाता है। पुरुष की अवधराणा जहाँ केन्द्रीय और सकारात्मक होती है वहीं स्त्रीत्व की मूल अवधरणा नकारात्मक है। पुरुष समाज की तलाश के लिए स्वतंत्र हो सकता है जबकि स्त्री को मानवी रूप में पैदा होने के बावजूद तरह-तरह के सामाजिक बंधनों को निभाने के बावजूद अपने स्व के सतत विस्मृत कर माँ, बहन, भावी पत्नी वह पुत्री रूप में ही मर जाना होता है। उसे इसके लिए स्त्रीत्व की एक विशिष्ट तालीम देकर स्त्री बनाया जाता है। इसके लिए एक खास ढंग का उठना बैठना, बोलना, हंसना, भोजन करना, कपड़े पहनना, बाल बनाना, सजना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। उसकी शारीरिक संरचना की विभिन्नता के कारण उसे अनेक अमूर्त, अपूर्ण और परस्पर विरोधी परिभाषाओं में जकड़कर मानवीय गरिमा से च्युत कर दिया जाता है। ये आधार केवल जैविक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक भी है।

जैविक आधार

मनुष्य जाति में यौन-प्रक्रिया या प्रजनन एक विशिष्ट और मूल्य-प्रक्षेपण की क्रिया मानी गयी है। जिसमें पुरुष और स्त्री के शरीर की बनावट, गर्भधरण की संपूर्ण प्रक्रिया, घर और बाहर के कार्यक्षेत्र आदि समाज व्यवस्था के आधार-तत्व हैं।

पुरुष शरीर की बनावट अधिक बल, स्फूर्त, अंगों के चौड़ेपन और प्रमुखतः वाह्य रूप लिए होता है तो स्त्री शरीर किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था ;मोनोपॉज तक का समय तक ऐसी प्रक्रिया में बंटा है जिसमें विकास के साथ-साथ आए परिवर्तन उसे अधिकाधिक संकोची बनाते जाते हैं। प्रति महीने मासिक स्त्राव के झमेले के साथ नौ महीने तक गर्भधरण करने की शारीरिक स्थिति उसे नितांत भिन्न अनुभव तो देता ही है-उसके शरीर के सुकोमल, लचीला, मुलायम और स्निग्ध बनाने के साथ-साथ दुग्ध ग्रंथियों को भी सक्रिय करती है। इन सब प्रतिक्रियाओं से गुजरने हुए वह अक्सर अपने पहने गए कपड़ों के प्रति भी संशकित और सशक्त बनी रहती है। जनानांगों और गर्भाशय की स्थिति उसे पुरुष की भाँति, स्वतंत्र, स्वच्छानंद और मुक्त शैली अपनाने से रोकती है तथा उस पर लादे गए सामाजिक रीति-रिवाजों में उसके शरीर को पाप का घट बनानेवाली परिभाषाएं स्वयं उसे हीनतर बनाती जाती है।

1. पांडे, मैनेजर, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, पृ. 41

ऐसे में पुरुष के भांति आचरण कर मुक्त होने की परिकल्पना उसे न केवल असफलता की राह पर ले जाती है, बल्कि अपने प्रति अन्याय के रास्ते पर भी ले जाएगी। उसे हमेशा समानता और असमानता का अंतर पहचानकर आगे बढ़ना होगा जैसा कि महादेवी वर्मा कहती है।

पदो वस्तुओं का अंतर सदैव उनकी श्रेष्ठता और हीनता का द्योतक नहीं होता, यह मनुष्य प्रायः भूल जाता है नारी ने भी यही चिर परिचित भांति अपनाई। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, शारीरिक विकास के विचार से और सामाजिक जीवन की व्यवस्था से स्त्री में विशेष अंतर रहा है और भविष्य में भी रहेगा, परंतु यह मानसिक और शारीरिक भेद न किसी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है और न किसी की हीनता का विज्ञापन करता है।¹

अतः जन्मजात जैव लाक्षणिकता ऐसी निर्णायक शक्ति नहीं है जिसके तहत किसी एक वर्ग को हीन ठहराया जाये। सामाजिक वातावरण और संस्कार मूल्य ही वे प्रधान कारक तत्व हैं जिनमें किसी स्त्री का पालन पोषण होता है। वह वातावरण ही स्त्री सुलभ विशिष्ट वृत्तियों को प्रेरित करता है। उसके लिए स्त्रियों की जैविक विशेषता लेशमात्रा उत्तरदायी नहीं है।

मनोवैज्ञानिक आधार

मनोविज्ञान में शरीर संरचना को अस्तित्व की नियति माना गया है। मनो विश्लेषकों के अनुसार, व्यक्ति की प्रवृत्ति और झुकाव अलगाव की ओर होती है। पुरुष और स्त्री के जननांगों में प्रर्याप्त भिन्नता है। इस भिन्नता के कारण अपने-अपने 'स्व' को बाहर की दुनिया से जोड़ने का उपक्रम करता है। जबकि स्त्री का सुरंगीय शरीर और उसके सामाजिक परिवर्तन स्वयं उसके लिए उलझन स्वरूप होने लगते हैं। इससे उसका 'एल्टर इगो' न तो कभी बोझिलताओं से मुक्त हो पाता है और न ही कभी उसमें सृजन का अभिमान जाग पाता है। इस प्रकार, धीरे-धीरे उसका सम्पूर्ण अस्तित्व एक वस्तु रूप ग्रहण कर लेता है और सचेत रूप से सेक्सुअल जीवन के रूप में विकसित नहीं होने देता इसके कई मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं।

चूँकि पुरुष अपनी इस संरचना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और यह महत्व समाज और व्यवस्था द्वारा अनुकूलित भी कर दिया जाता है। अतः पुरुष, सत्ता एवं ताकत का परिचायक हो जाता है। नयड ने इस बात को स्वीकार किया है कि 'लग की आराधना वास्तव में पितृ-सत्ता का प्रतीक है।

नयड ने स्त्री व पुरुष में मानसिक भिन्नता बनायी इसमें उन्होंने कहा स्त्रियाँ घरेलू काम में अधिक रमती है। भावना, स्नेह अभिव्यक्ति में अधिक रमती है। महादेवी ने कहा कि स्त्री को त्याग व सहनशीलता आदि गुण मातृत्व की पूखत के लिए प्रकृति से मिले हैं।

फजब दो मानव एक साथ रहते हैं तो एक सत्ता दूसरी सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। अगर दोनों प्रभाव से मुक्त रहें तो एक स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। भौतिक व सामाजिक सत्ता पुरुष के हाथ में रहती है अतः स्त्री अस्मिता का मनोवैज्ञानिक आधार कमजोर होने लगता है। इस प्रकार वह स्वयं अपनी अस्मिता बनाने के बजाय वह किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की बहन या मां के रूप में जानी जाती है।¹

अधिकतर सभी प्रकार के इतिहास, दर्शन, साहित्य, राजनीतिक विमर्श पुरुषों द्वारा ही लिखे गये हैं। पुरुष ने स्त्री को सिर्फ शरीर, भोग्या, मनोरंजन, वस्तु ही माना। रीतिकाल, आदिकाल का अधिकांश साहित्य स्त्री को मनोरंजन व भोग्या मानकर ही लिखा गया। कुछ थोड़ी सी महिला इतिहास के पृष्ठों पर मिल भी जाती है तो उसके कारणों का विश्लेषण करते हुए रोमिला थापर कहती है।

फमीराबाई और रजिया जैसी उच्च कुल की नारियों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी परंतु मीराबाई जोगन बनकर और रजिया पुरुष शासकों का रूप धरकर ही ऐसा कर सकती थी।²

रानी हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। उत्तराधिकारी की मांग को अंग्रेजों ने जब अस्वीकार कर दिया तो रानी अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ी और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई।

गाँधीजी के आदेशपर स्त्रियाँ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने सर्वस्व योगदान दिया। चरखा काटना, खादी बनाना, विदेशी कपड़ों को होली जलाना, आम सभाएं आयोजित करना और पुरुषों के साथ रहकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना आदि कार्य स्त्रियों ने सफलतापूर्वक किया।

1. वर्मा महादेवी, *शुंखला की कड़ियाँ*, पृ. 43

1. थापर रोमिला, *भारत का इतिहास*, पृ. 228

2. सिंह रुपा, *स्त्री अस्मिता और कृष्णा सोबती*, पृ. 26

सामाजिक आधार

सांस्कृतिक अचार संहिता के सारे नियम समाज स्त्री पर थोपता है। उसे अपने पिता के यहाँ एक वस्तु की तरह संभाला जाता है। उसकी कामुकता पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। घर में रात को कितने बजे वापस आना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किससे दोस्ती करनी है यह सब पिता, भाई तय करते हैं। वह शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती है। पति के घर उसे सहनशील, लज्जाशील, परिवार की गरिमा के अनुकूल आचरण करना पड़ता है। उसे सास-ससुर, पति-देवर-ननद सभी का ध्यान रखना है। दहेज के नाम पर उसका शोषण किया जाता है। उसे जला दिया जाता है। सास-ससुर-पति द्वारा मारा जाता है, उसे वेश्या बनने को विवश कर दिया जाता है।

समाज विधवा स्त्री का जीवन दुभर कर देता है। उसे पुनर्खववाह करने में भी अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। स्त्री अगर सुंदर, सेक्सी, शालीन न हो तो उसे उसके रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सास व ननद पुत्रा वृद्ध को छलती है। अगर वह बांझ है तो उसका जीवन नरकीय बन जाता है। पति अगर माँ व बहन की बात सुननेवाला हो तो वह भी पत्नी को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बेटे के जन्म पर स्त्रियाँ नाराज और पुत्रा के जन्म पर खुश होती है।

शाहबानो सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा जीत जाती है लेकिन अपने समाज की आचार संहिता परंपरा रूढ़ी का सामना वह नहीं कर पाती। पिता, भाई व पति काला धन छुपाने के लिए माँ, बहन व पत्नी के नाम सम्पत्ति खरीदते हैं। बहन अगर, संपत्ति में हिस्सा मांगती है तो उसकी शादी करा दी जाती है। बलात्कार से पीड़ित महिला को पुरुष वकील ऐसे सवाल पुछते हैं जो इन सवालों का जवाब स्त्री दे नहीं पाती परिणामतः आरोपी छूट जाता है। इस तरह स्त्री को कानून में न्याय होने के बावजूद कहीं न्याय नहीं मिल पाता। पुत्रा की लालसा के खातिर पेट में ही उसकी हत्या कर दी जाती है।

गाँव की गरीब ग्रामीण महिलायें खेती, पशुपालन, डेयरी, हथकरघा, स्वेटर बनाने आचार-पापड़ बेलने, रास्ता बनाने, आदि कार्यों से जुड़कर अपना पेट पाल रही है। जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास योजना के आधे अक्षर अनुदानों पर पारंपरिक हुनरों से बेदखल होने का डर हमेशा बना रहता है। गाँव की महिलाएं अशिक्षित होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुँचता। झोपड़पट्टी की स्त्रियों को कम मजदूरी पे काम करना पड़ता है। उसे प्रसुति सविध का लाभ नहीं मिलता। काम की जगह अगर कोई हादसा हो जाय तो कानूनी मदद नहीं मिलती। अगर कभी मंदी के कारण छटनी हो भी जाती है तो छंटनी की पहली मार महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। उच्च शिक्षित स्त्री अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी दर्ज-कर रही है जैसी इंदिरा नुई, चंदा खोचकर, कीदवई, किरण मजुमदार आदि स्त्रियाँ बिजनेस क्षेत्रा में सफल है लेकिन इनकी मात्रा न के बराबर है।

स्त्री की स्वतंत्र पहचान के रूप में मान्यता देने से पुरुष व समाज ने उसका हमेशा विरोध किया। वह देवी, दानवी, पत्नी, मां, पुत्री, बहन के रूप में उसकी पहचान निश्चित की। उसकी अस्मिता को पुरुष पर निर्भर बना दिया। हर समस्या को प्यार से सहने के लिए मानसिक रूप से विवश किया। शादी होने के बाद पिता के घर उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। कन्यादान होने के बाद पिता गंगा नहाने सा सुख तथा पुण्य प्राप्त करता है। वह पिता के घर आती भी है तो एक मेहमान बनकर। आँ, वस्त्रा व छत के खातिर उसे तन-मन की सेवा देनी पड़ती है।

ज्योतिबा पफुले ने नारी उ(र के लिए रचनात्मक कार्य किया। उन्होंने सावित्री बाई पफुले को पढ़ाया। सावित्रीबाई भारत की सर्वप्रथम स्त्री अध्यापिका बनी। रमाबाई रानाडे ने आजीवन महिला शिक्षा हेतु संघर्ष किया। केशवचंद्र सेन द्वारा स्थापित आर्यनारी समाज ;1879 ई० में हिन्दू महिलाओं की पुरानन काल के स्वर्ण युग की ओर आकषत करने का प्रयास किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेन्द्र ठाकुर ने महिला शिक्षा, बाल विवाह व विधवा पुनर्खववाह जैसे प्रश्नों पर काम करने के लिए 'समाजोति विधयिनी सु(य' नामक पुस्तक लिखी।

संस में 1945 ई० में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। 1917 ई० में मद्रास में 'भारतीय महिला असोसिएशन' का उद्घाटन हुआ। इसकी संस्थापिका एनी बेंसेट थी। सरोजनी नायडू ने महिला शिक्षा व महिला मताधिकार का मांग उठाई। राजकुमारी अमृतकौर 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय हुई और मुम्बई में गिरफ्तार होकर जेल चली गयी। हिन्दी भाषी क्षेत्रा में स्त्रियों की दशा सुधरने के लिए आवाज उठानेवाली पहली पत्रिका 1874 में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा प्रकाशित बालबोधिनी थी।

सरस्वती, प्रभा, अभ्युदय, मर्यादा, सुध और माधुरी आदि पत्रिकाओं ने नारी समस्याओं को उठाया। इन लेखों में परदा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पत्नी की मृत्यु होने पर पुरुषों द्वारा बार-बार विवाह स्त्री शिक्षा व स्त्रियों के राजनीतिक अधिकार आदि समस्याओं को उठाया।

आज आधुनिक स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निजी दुःखों का पिटारा लेकर न बैठे, वह इतनी पढ़ी लिखी हो कि ड्राइंगरूम की चर्चा में भाग ले सके। वह किसी न किसी परम पुरुष की छाया में ही रहे। फछायावादी नवजागरण में देवी माँ, सहचरी, प्राण का ढांचा था। अब डिजिटल एज का युग है। 33 पफीसदी आरक्षण का मुद्दा है। आज स्त्रियाँ स्वतंत्रता की खतरनाक सीमाएं पार करने लगी है। आप किसी को दुश्चरिता नहीं कह सकते। कहते हैं तो अपराध पागलपन, पिछड़ापन है। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ सोना विश्वासघात पाप या अपराध नहीं है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। यह नश्वर देह का सार्थक उपयोग है।...महादेवी के समय, समाज में नारी प्रेरणा, शक्ति, प्रकृति, पवित्रता, आत्मा और अर्चना का पर्याय थी। आज उत्तर आधुनिक समय में नारी मात्रा देह, सेक्स, वस्तु, प्रदर्शन और बाजार बनकर रह गई है।¹

आज स्त्री को श्र(, शक्ति, प्रकृति, पवित्रता, आत्मा और अर्चना तक सीमित रहना स्वीकार्य नहीं है। देवी, मां, सहचरी, प्राण के इतर एक इंसान भी है। वह यह मान्यता चाहती है। स्त्री का जितना नैतिक विकास व बौ(िक विकास पिछले तीन दशक में हुआ है, उतना पुरुषों का नहीं हुआ। पहले स्त्रियाँ तन-मन से घर में एक-एक व्यक्ति की सेवा करती थी। घर उनके लिए रक्त और यौन संबंधों के घेरे तक सीमित नहीं है इसमें परिजन, पुरजन, दुनिया के सारे वंचितजन शामिल हैं।

आर्थिक आधार

स्त्री स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। यह एक ऐसा पहलू है। जो न केवल पेट की भूख से जुड़ा है। बल्कि इज्जत और सम्मान की धूरी भी इसी आधार पर टिकी है। आज जबकि तमाम राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय स्तरों पर यह स्वीकार कर लिया गया है। कि स्त्रियों के काम से राष्ट्रीय उत्पादन में दुगुनी वृ(ि हो सकती है। पिफर भी यह सापफ दिखने में आता है कि गांव की गरीब स्त्रियां जो डेयरीपालन हथकरघा या अन्य कृषि प्रधान कार्यों से जुड़कर पैसे कमा रही है। आयातित कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण सामग्री पर आयात शुक्ल के कारण अपने आनुषंगिक कार्यों से वंचित कर दी गई है।

जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास योजना के आधे - अधूरे अनुदानों पर पारंपारिक हुनरों से बेदखल हो स्थानीय संस्कृति से भी बेदखल किए जाने का भय सदैव उन्हें घेरे रहता है।

अन्तरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित आधुनिकतम उत्पाद्य को डिब्बाबंद कार्य की दिहाड़ी से जुड़ी झोपड़पट्टी की स्त्रियों को आए दिन मजदूरी नहीं मिलती है। प्रसुति सुविध का अभाव, अवकाश वेतन की असुविध के साथ चोट-चपेट लगने पर कानूनी मदद भी नहीं मिलती है। छटनी भी सबसे पहले महिला मजदूरों की ही होती है।

आज आर्थिक उदारीकरण नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में बीमार इकाइयां बंद करने तथा रोजगार घटाने का दबाव पढ़ता जा रहा है। निजी कंपनियां खूब पढ़े लिखे और दिखने में स्मार्ट युवकों को अवसर दे रही है। उच्चतम शिक्षा प्राप्त स्त्री भी अन्तरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रही है। पर उनकी संख्या का न्यूनतम प्रतिशत और कार्य वितरण प्रणाली को देख कर नहीं लगता है। कि वे सभी प्रकार के शोषण दुष्चक्र से पूर्णतः मुक्त है।

भारतीय सामाज के रूपरेखा न केवल पुरुष प्रदान रही बल्कि वहाँ स्त्री को मानवीय मनुष्य समझने से ही इन्कार दिया गया। उसकी अनेक परिभाषा बना दी गई जिसमें कभी तो वह देवी बनी, कभी दानवी, कभी पत्नी, कभी मां, कभी पुत्री। उसके समग्र व्यक्तित्व को पुरुष निर्भर संबंधों में बांट दिया।

पलगभग सभी धर्मिक और दार्शनिक दायरों में स्त्री को पुरुष के संदर्भ में एक अपूर्ण और सापेक्ष जीवन के रूप में ही देखा गया है। वरना यह न माना जाता कि मात्रा स्त्री होकर जन्म लेना सही सामाजिक संदर्भ में सार्थकता से स्त्री होने के लिए प्रयत्ति नहीं और हर स्त्री के लिए स्त्री स्त्रीत्व यानी खास तरह से उठने बैठने, बोलने चलने की विशिष्ट तालीम भी नेते चलना जरूरी न काह जाता है।²

स्त्री सामाजिक प्राणी होते हुए भी गृहविहीना ऐसा जीव है। जिसका घर तो क्या रातों रात नाम भी बदल दिया जाता है। बचपन से युवा उसका तन न केवल अजनबी पति को सौंप दिया जाता है। वरन् एक नये वातावरण, परिवार, संबंध के बीच जानवर की तरह चुप रहकर काम करने और सब कुछ प्यार से सहने को मानसिक रूप से विवश किया जाता है।

¹ प अनामिका, हिन्दी दैनिक जनसत्ता, दिल्ली संस्करण, 27 सितम्बर 2009, पृ. 25

² प मृणाल पाण्डे, स्त्री: देह की राजनीति से देश की राजनीति तक, पृ. 5

कन्या का यह हस्तांतरण पिता के लिए ऐसा धर्मपूर्ण 'कन्यादान' कहलाता है। जिसके बाद उसकी चिंता करने के बजाय वह 'गंगा नहाने सा सुख तथा पुण्य प्राप्त करता है। मायके से ससुराल विदा होते ही कन्या के सारे अधिकार मायके से समाप्त हो जाते हैं। वह कभी-कभी आकस्मिक महमान के तौर पर ही अब उस घर में आ जा सकती है। जहां उसने उम्र का एक लंबा सपफर तय किया है। यहा नहीं, किसी कारणवश यदि ससुराल वाले उसे ताड़ना देकर घर से बाहर निकाल दें तो वह वापस अपने घर नहीं जा सकती। इस प्रकार न मायका अपना और न ही ससुराल ही उसका ही पाता है। एक गुलाम बांदी की तरह भरपेट भोजन एक छत, चंद कपड़ों का खातिर अपने तन मन की सेवा उसे देसरो को देनी पड़ती है। यह भाव उसमें एक हीनता तथा असुरक्षा की भावना पैदा करना है। इसकी प्रामाणिक जांच करते हुए मधुकेश्वर लिखती हैं।

जीपे संबा विंइंपब तपहीज पद इवजीीमत दंजनतम दक उंतपजंस वउम बवदजतपइनज मदवतउवनौल जव उंपदह वूउंद मगचमतपमदबम चमतचमजनंस पदेमबनतपजल मेचमबपंससलपद जीवेम बवउउनदपजपमे मीमत वूउंद पे मचज तिवउ वूदपदह चतवचमतजल पदीमत वूद दंउम

यदि समाज में कोई स्त्री विधवा हो जाये तो समाज उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। उसे मनपसंद कपड़े पहनने या आभूषणों की आज्ञा नहीं दी जाती। यदि वह दुबारा विवाह करना चाहे तो 'कुलटा' कहकर उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है।

हमारे समाज में हालांकि मातृत्व का गौरव-गान किया गया है। लेकिन गौर से देखने पर यह भी ऐसा आलंकारिक आदर्श लगता है जिसमें उसे षडयंत्रा की बू आती है। जिससे स्त्री को अधिकाधिक बंधनों में बांध जा सके। एक तो बालक के लालन-पालन या जीवन संरक्षण के लिए रातों का जागरण और स्नेह संभाल की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। वह अधिकाधिक 'मां' के हिस्से ही आती है क्योंकि वह 'स्नेहमयी मां' है। बराबर का भागीदारी पुरुष पिता रातों को चैन से सो सकता है या कभी बच्चे की रोने की आवाज से डिस्टर्ब हो स्त्री को उसकी मातृत्व की लापरवाही के लिए अपशब्द भी सुना सकता है। यदि मातृत्व गौरवपूर्ण व्यापार है। तो कुंदनिका कपाडिया यह महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि

पमां बनना यदि सचमुच ही गौरव की बात है तो कुंवारी माता या विधवा के मां बनने पर अथवा बलात्कारी द्वारा जबर्दस्ती मां बना दिए जाने पर स्त्री को यह गौरव क्यों नहीं मिलता ? उसे कैसी लांछन भरी स्थिति में जीना पड़ता है जबकि उसके लिए जिम्मेदार पुरुष को तो कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता।¹

धर्म, व्यक्ति का सामाजिक और आत्मिक अस्मिता के साथ जुड़ा ऐसा संकल्प है। जिसके बेटुके प्रचार से व्यक्ति की भावनाओं और श्रम को पालतु बनाकर मनमाना स्वार्थ साध जा सकता है। पुरुष वर्ग यह खूब जानता है और इसलिए तमाम धर्मों में स्त्री को अधिक धार्मिक बनाने की नसीहतें दी जाती है। ताकि उनकी तीक्ष्णता, प्रतिवाद क्षमता तथा विचारों की परिपक्वता उसे अंधे-अनुकरण से रोक न ले। स्त्रियां भी अपने को आदर्श स्वरूप मानकर अधिकाधिक जप तप, पूजा अर्चना त्याग सेवा करके अंधे अणुसरण में ही लगा रहती है।

छहेज उत्पीड़न से स्त्रियां आज तक मुक्ति नहीं पा सकी है। पैसा, सत्ता और प्रतिष्ठा के समीकरण वाले इस माज में स्त्री एक आर्थिक इकाई नहीं है। इसलिए उसका मूल्य कम है। यह भी एक सामाजिक प्रथा है। कि स्त्री मायके से ढोकर दहेज लाये और उसके माता पिता उसके घर का पानी तक न पीयें।

बलात्कार से पीड़ित स्त्री को समाज अपने लांघनों, कटुक्तियों तथा व्यंगबानों का ऐसा नरतर देता है। जिससे उसका जीना दूभर हो जाता है। एक बेगुनाह को गुनहगार साबित करने वाला यह सामाजिक कुकृत्य न केवल, वैयक्तिक संदर्भ में वरन् विशेष परिस्थियां बन जाता है।

पअपने वैयक्तिक संदर्भ में बलात्कार महज कामुकता का विषय नहीं है। कभी सचेतन तो कभी अचेतन ढंग से यह नारी को क्रीडा बिलास की वस्तु मानने वाली समझ तथा पुरुष की शक्ति का रेखांकन की है। अपने सामुहिक संदर्भ में बलात्कार घोषित रूप से एक राजनीतिक चाल बन जाता है। और संगठित आक्रमण के क्रम में वह एक प्रदर्शनीय कृत्य बन जात है। शत्रु समुदाय के स्वायत्त प्रतीक को अपवित्रा करना एक अनपठान बन जाता है।²

¹ कुंदनिका कपाडिया दीवारों से पार: आकाश, अनुवाद नांदिनी मेहता, साहित्य अकादमी, दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1994, पृ. 7